फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

रोहित कुमार यादव बनाम यशपाल वगेरा

किस्म मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 53., 88, 89 188 आर.टी.एक्ट   मु0 नं0 53/24 ......सन –2024

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुनः	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2024	दावा वकील वादी श्री रवि गुप्ता विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06–05–2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी अलवर 6.5.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त है। लिहाजा 10.6.24 को पेश हो।	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी और वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रा०पत्र प्रस्तुत किया कि वाद को आगे नही चलाना चाहते है नाही प्रकरण में कोई भी कार्यवाही चाहते है वाद को इसी स्तर पर नोट प्रेस करना चाहते है, प्रार्थी/वकील प्रार्थी को सुना गया काफी मनन करने के उपरान्त प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। अत: प्रा०पत्र प्रार्थी नोट प्रेस में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली को नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर होवे।	

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

Scanned with OKEN Scanner